Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged misbehaviour by officials against Member of Parliament.

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गम्भीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी।

महोदय, पिछले चार महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गईं, जिससे कोरोना जैसी महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परम्परा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर कि मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया? तब प्रदेश के उप-समाहर्ता...(व्यवधान) सर, 20 सेकंड, यह बहुत गम्भीर मामला है। प्लीज मुझे यह कंप्लीट करने दीजिए। मेरे पूछे जाने पर कि मेरा संबोधन क्यों काट दिया? तब प्रदेश के उप-समाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक, पिछले चार महीनों से मुझे लगातार परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड़यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे।

महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी, उससे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोक सभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को संसद में अति गम्भीरता से लेना होगा। ...(व्यवधान) मैं इस महान संसद में सातवीं बार चुनकर आया हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्रीमती संगीता आजाद,

श्री गिरीश चन्द्र,

श्री मलूक नागर,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर,

श्री कुलदीप राय शर्मा,

श्री श्याम सिंह यादव और

श्रीमती नवनीत रवि राणा को श्री मोहन एस. देलकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अनुप्रिया जी, एक मिनट में अपनी बात कह दें।